रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102024-257618
CG-DL-E-01102024-257618

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/अश्विन 8, 1946
No. 275] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ ASVINA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली , 30 सितंबर, 2024

मामला सं. एडी (ओआई) - 24/2024

विषय: चीन जन. गण. के मूल अथवा वहां से निर्यातित सोलर सेल, चाहें मॉड्यूल में एसेंबल या पैनल में लगे हों अथवा नहीं, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/26/2024-डीजीटीआर - एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड, रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड और टीपी सोलर लिमिटेड (जिन्हें आगे 'आवेदक' भी कहा गया है) द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन

पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सोलर सेल चाहें मॉड्यूल में एसेंबल या पैनल में लगे हों अथवा नहीं (जिसे आगे सोलर से मॉड्यूल या संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। तदनुसार, आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. विचाराधीन उत्पाद सी-एसआई या थिन फिल्म प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पादित सोलर सेल या फोटो वर्टेक्स सेल चाहें मॉड्यूल में एसेंबल या पैनल में लगे हों अथवा नहीं, हैं। सोलर सेल के लिए निर्मित सोलर मॉड्यूल या पैनल विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं। इसके अलावा, सोलर सेल मोनोक्रिस्टलीन या मल्टीक्रिस्टलीन हो सकते हैं और ये दोनों ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं।

4. विचाराधीन उत्पाद को मुख्यत: दो उत्पादन प्रौद्योगिकियों अर्थात् क्रिस्टलीन सिलिकॉन आधारित सोलर सेल प्रौद्योगिकी (सी-एसआई) और थिन फिल्म प्रौद्योगिकी के प्रयोग से निर्मित किया जाता है। सी-एसआई आधारित प्रौद्योगिकी और थिन फिल्म प्रौद्योगिकी के जरिए सोलर सेल या मॉड्यूल या पैनल दोनों ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं।

5. सोलर सेल, जिसे फोटो वोल्टिक सेल के रूप में भी जाना जाता है, एक सॉलिट – स्टेट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सूर्य के प्रकाश को फोटो वोल्टिक प्रभाव द्वारा सीधे बिजली में परिवर्तित करती है। विशिष्ट मात्रा में वाट या करेंट प्राप्त करने के लिए सोलर मॉड्यूल या पैनल के रूप में अनेक सोलर सेलों को आपस में जोड़ा जाता है। सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सोलर व्यवस्था में अनेक सोलर पैनलों को एक साथ जोड़ा जाता है। थिन फिल्म प्रौद्योगिकी के प्रयोग के मॉड्यूल भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए आपस में जोड़े जाते हैं।

6. संबद्ध वस्तु में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-I के अध्याय 85 में टैरिफ मद 8541 4200 और 8541 4300 के अधीन वर्गीकृत हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

7. लागत और कीमत की दृष्टि से अंतर पर विचार करते हुए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदकों ने निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है।

क्र.सं.	विचाराधीन उत्पाद के प्रकार	कोड विवरण	शब्द-संक्षेप
1.	सोलर सेल	मोनोक्रिस्टलीन सेल्स	मोनो-सेल्स
		मल्टी-क्रिस्टलीन सेल्स	मल्टी-सेल्स
2.	सोलर मॉड्यूल्स		मॉड्यूल्स

8. वर्तमान जांच में पक्षकार इस जांच की शुरूआत के <u>30 दिनों के भीतर</u> पीयूसी और प्रस्तावति पीसीएन के संबंध में साक्ष्य के साथ विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अपनी टिप्पणियां यदि कोई हों, उपलब्ध करा सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

9. आवेदकों ने बताया है कि सी-एसआई या थिन फिल्म प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। तथापि, आवेदकों ने दावा किया है कि दोनों उत्पादन प्रक्रियाओं से उत्पादित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, अनुप्रयोग और अंतिम प्रयोग, कीमतों आदि सहित सभी भौतिक पहलुओं में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने सी-एसआई प्रौद्योगिकी या प्रयोग से सोलर सेल और थिन फिल्म प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सोलर मॉड्यूल का उत्पादन किया है। तथापि, सी-एसआई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से घरेलू उद्योग ने सोलर मॉड्यूल का उत्पादन नहीं किया है। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि सी-एसआई मॉड्यूल देश में आयातित किए जा रहे हैं तथा थिन फिल्म मॉड्यूल घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए जा रहे हैं। सभी प्रकार से समान या एक समान वस्तु के अभाव में थिन फिल्म प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पादित सोलर मॉड्यूल या पैनल को सी-एसआई सेलों के प्रयोग से उत्पादित सोलर मॉड्यूल या पैनलों के समान वस्तु माना गया है जिनमें आयातित वस्तु से बिल्कुल मिलती-जुलती विशेषताएं हैं।

10. तदनुसार, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात वास्तविक महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिदेर्शन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देश से उत्पादित विचाराधीन उत्पाद से तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अत: वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देश से आयातित किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. संबद्ध देश और उसकी स्थिति

11. यह आवेदन एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड, रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड और टीपी सोलर लिमिटेड द्वारा दायार किया गया है। आवेदकों के अलावा, भारत में समान वस्तु के विनिर्माण में लगभग 130 अन्य घरेलू उत्पादक शामिल हैं।

12. आवेदकों ने दावा किया है कि 3 आवेदकों सहित भारत में सोलर सेल के केवल 6 ज्ञात उत्पादक हैं। इन 6 सेल उत्पादकों में से जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड और वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड को छोड़कर सभी अन्य सेल उत्पादकों ने भारी मात्रा में संबद्ध देश से सेल का आयात किया है और इसलिए वे अयोग्य हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड एसईजेड क्षेत्र में स्थित है और इसलिए अयोग्य है। एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने थिन फिल्म टेक्नोलॉजी के प्रयोग से सोलर मॉड्यूल का उत्पादन किया है। पूर्वोक्त सेल उत्पादकों और एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा, सभी अन्य घरेलू उत्पादक भारतीय उत्पादकों से सोलर सेल खरीद कर या चीन और अन्य देशों से सेल का आयात करके सोलर मॉड्यूल का उत्पादन करते हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड और एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर कोई भी अन्य घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि ऐसी उत्पादक या तो विचाराधीन उत्पाद के आयातक हैं या वे घरेलू उत्पादक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए सोलर सेल को सोलर मॉड्यूल में परिवर्तित करने की पर्याप्त उत्पादन प्रक्रिया नहीं करते हैं या एसईजेड में स्थित हैं।

13. यह सीमा शुल्क आंकड़ों से यह देखा जाता है कि जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड और वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड को छोड़कर भारत में अन्य सभी सेल उत्पादकों ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से सेलों का भारी मात्रा में आयात किया है जो कुछ मामलों में उनकी उत्पादन क्षमता से भी अधिक है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इन उत्पादकों का फोकस भारत में वस्तुओं के निर्माण तक सीमित नहीं हैं। तदुनसार, प्राधिकारी की पूर्ववर्ती स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ये सेल विनिर्माता जो संबद्ध देश से भारी मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का आयात करते हैं। नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग माने जाने के पात्र नहीं हैं।

14. यह भी नोट किया जाता है कि वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड एक एसईजेड इकाई है जो उसके विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के उद्देश्य से स्थापित की गई है। तदनुसार, प्राधिकारी की पूर्ववर्ती स्थापित प्रक्रिया के आधार पर वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग होने के पात्र नहीं हैं।

15. भारत में सोलर मॉड्यूल के उत्पादकों के संबंध में एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड थिन फिल्म तकनीक के प्रयोग से सोलर मॉड्यूल का उत्पादन करती हैं। उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान

संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। यद्यपि उत्पादक तीसरे देशों से समान उत्पाद के निर्यातकों से संबंधित है। तथापि, वह संबद्ध देश से कथित पाटित वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं है। यह कंपनी नियमावली के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग है।

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर सोलर मॉड्यूल के सभी अन्य भारतीय उत्पादकों ने घरेलू रूप से उत्पादित सेलों या आयातक सेलों के प्रयोग से मॉड्यूल का उत्पादन किया है। यह निर्धारित किया जाता है कि ऐसे घरेलू उत्पादक जो सोलर सेल का आयात कर रहे हैं। सेलों का आयातक होने के कारण घरेलू उद्योग बनने के पात्र नहीं हैं। ऐसे उत्पादकों के संबंध में जिन्होंने घरेलू बाजार या आयातों से सेलों की खरीद के बाद मॉड्यूल का उत्पादन किया है, यह नोट किया जाता है कि ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सेल और मॉड्यूल दोनों विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं और सेल बनाने के स्तर पर प्रमुख विनिर्माण कार्यकलाप माने जाते हैं। जबकि सेल से मॉड्यूल बनाने के लिए केवल वृद्धिशील उत्पादन और कम मूल्यवर्धन किया जाता है। यदि ऐसे उत्पादकों के उत्पादन पर विचार किया जाए तो उससे भारतीय उत्पादन की दोहरी गणना हो जाएगी क्योंकि समान उत्पादन को सेल के स्तर पर और मॉड्यूल के स्तर दोनों स्तर पर गिना जाएगा। यह ऐसे मामलों में प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया भी रही है, जहां कोई उत्पाद या उसका आगे प्रसंस्करण उत्पाद विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा माना जाता है।

17. तदनुसार, उक्त के आधार पर यह नोट किया जाता है कि केवल एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड के उत्पादन को कुल पात्र घरेलू उत्पादन का हिस्सा माना जाएगा। एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड इस प्रकार से संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनते हैं जिनमें वे उत्पादक शामिल नहीं हैं जो कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हैं या स्वयं उसके आयातक हैं। एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे कथित पाटित वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं हैं। इसके मद्देनजर यह नोट किया गया है कि जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड और एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

18. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ङ. <u>जांच की अवधि</u>

19. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और जांच की अवधि शामिल हैं।

च. कथित पाटन के लिए आधार

सामान्य मूल्य

20. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. से उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश देना चाहिए कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है। जब तक चीन जन. गण. से उत्पादक यह नहीं दर्शाते हैं कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं तब तक उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित करना चाहिए। आवेदकों ने संबद्ध वस्तु के भारत में तीसरे से आयात के समय आयात की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर दावा किया है। इस संबंध में, आवेदकों ने भारत में मलेशिया से आयातों की कीमत पर विचार किया है। ऐसे आयातों की कीमत को कारखानाद्वार सामान्य मूल्य ज्ञात करने के लिए समायोजित किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है जो उसकी विधिवत रूप से समायोजित उत्पादन लागत पर आधारित है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर भारत में देय कीमत पर आधारित सामान्य मूल्य पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के समायोजन के बाद विचार किया है।

निर्यात कीमत

21. आवेदकों ने उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के सौदावार आंकड़ों में यथा सूचित संबद्ध वस्तु की सीआईएफ कीमत के आधार पर संबद्ध वस्तु के निर्यात पर विचार किया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय भाड़ा और कमीशन के लिए समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

22. संबद्ध वस्तु की सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या दर्शाती है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और काफी अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देश के विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

23. आवेदकों ने यह सिद्ध करते हुए प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रदान किए हैं कि संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन तथा खपत की दृष्टि से क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयातों की कीमत पर भारी गिरावट आई है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। इसके अलावा, संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है और उन्होंने घरेलू उद्योग कीमत में ह्रास किया है। बाजार में बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता और मांग के बावजूद घरेलू उद्योग को भारी अप्रयुक्त क्षमताओं और बाजार में नगण्य हिस्से का सामना करना पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप, मालसूची में काफी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आयातों की मौजूदगी से भारी वित्तीय घाटा, नकद घाटा और निवेश पर लगभग शून्य आय हुई है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के 3 बाजार खंड हैं अर्थात् पुन: निर्यात के लिए आयात, घरेलू वस्तु आवश्यकता (डीसीआर) सहित परियोजनाएं और खुला बाजार हैं। चूंकि डीसीआर बाजार में परियोजनाओं को घरेलू रूप से वस्तुओं की अनिवार्य खरीद करना अपेक्षित है। इसलिए ऐसे बाजार पाटित आयातों के कुल प्रभावों से सुरक्षित होते हैं। तथापि, खुले बाजार में जहां मुख्य प्रतिस्पर्धा है, वहां घरेलू उद्योग अपनी वस्तुएं बेचने में असमर्थ हैं और उसकी व्यावहारिक रूप से कोई बिक्रियां नहीं हैं क्योंकि वह पाटित आयात से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है।

24. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि आयातों से एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में वास्तविक मंदी आई है, जो अपनी अनुमानित बिक्रियां और अनुमानित बिक्री कीमत हासिल करने में असमर्थ रहा है और उसे अनुमानित लाभप्रदता के मुकाबले भारी घाटे का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध आयातों से आयातों की वृद्धि की तीव्र दर, संबद्ध देश में भारी अप्रयुक्त क्षमताओं, तीसरे देशों द्वारा लागू उपायों के मद्देनजर घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होने का खतरा है और यह आयात ऐसी कीमतों पर हुए हैं जिससे घरेलू उद्योग की कीमत पर और अधिक ह्रासकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। अंतिम रूप से घरेलू उद्योग ने यह भी ध्यान दिलाया है कि देश में भारी क्षमता वृद्धि हो रही है, जो यदि पाटित आयातों को नियंत्रित नहीं रखा गया तो गंभीर खतरे में है।

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

26. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा, और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

27. नियमावली के नियम 6 में यथा प्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकरण को सभी पत्र-व्यवहार ई-मेल पते jd12-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, तथा उसकी एक-एक प्रतिलिपि adv11-dgtr@gov.in और Consultant-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

29. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

30. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

32. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना तथा आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की सरकारी वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. समय सीमा

33. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना / अनुरोध प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, तथा उसकी एक-एक प्रतिलिपि adv11-dgtr@gov.in और Consultant-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाले या संबद्ध देश से उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

34. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

35. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

36. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर / अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

37. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना

जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

38. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

39. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

40. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

41. हितबद्ध पक्षकार संबंधित अनुरोधों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

42. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे के लिए रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

43. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

44. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

45. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल कर दें । अनुरोधों के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. <u>असहयोग</u>

46. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

New Delhi, the 30 th September, 2024

<u>INITIATION NOTIFICATION</u>
Case No. AD (OI)-24/2024

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Solar Cells whether or not assembled in Modules or made up into Panels originating in or exported from China PR.

F. No. 6/26/2024-DGTR – An application has been filed by FS India Solar Ventures Private Limited, Jupiter International Limited, RenewSys India Private Limited, Tata Power Solar Systems Limited and TP Solar Limited (hereinafter referred to as the ‘applicants’) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority’), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules’), for initiation of an anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of Solar Cells whether or not assembled in Modules or made up into Panels

(hereinafter referred to as 'Solar Cells and Modules' or 'subject goods' or 'product under consideration'), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the 'subject country').

2. The applicants have alleged that injury is being caused to the domestic industry due to the alleged dumped imports. Accordingly, the applicants have requested for the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration is 'solar cells or photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels, produced using c-Si or thin film technology. Solar modules or panels made up of solar cells are within the scope of the product under consideration. Further, solar cells may be 'Monocrystalline' or 'Multi-crystalline', both of which are included within the scope of the product under consideration.

4. The product under consideration is majorly manufactured using two production technologies, namely, crystalline silicon based solar cell technology (c-Si) and thin film technology. Solar cells and modules or panels produced through c-Si based technology and thin film technology are both included within the scope of the product under consideration.

5. Solar cell, also known as photovoltaic cell, is a solid-state electrical device that converts sunlight directly into electricity by the photovoltaic effect. In order to achieve a particular amount of wattage or current, a number of solar cells are connected together to form a solar module or panel. For large-scale generation of solar electricity, several solar panels are connected together into a solar array. The modules using thin film technology are also connected in a similar manner, to form an array.

6. The subject goods are classified under Chapter 85 of Schedule I to the Customs Tariff Act, under tariff items 8541 4200 and 8541 4300. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

7. The applicants have proposed the following product control numbers (PCNs) for the purpose of the present investigation, considering the difference in terms of cost and price.

S.N.	Type of product under consideration	Code Description	Abbreviation
1.	Solar Cells	Monocrystalline cells	Mono-cells
		Multi-crystalline cells	Multi-cells
2.	Solar Modules		Modules

8. The parties to the present investigation may provide their comments, duly substantiated with evidence, on the PUC and proposed PCNs, if any, within 30 days of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

9. The applicants have stated the subject goods can be produced using c-Si or thin film technologies. However, the applicants have claimed that the products produced from either of the production process are comparable in all material aspects, including the physical and chemical properties, applications and end uses, prices, etc. The Authority notes that the domestic industry has produced solar cells using c-Si technology and solar modules using thin film technology. However, solar modules using c-Si technology have not been produced by the domestic industry. It is noted that while c-Si modules are being imported into the country, thin film modules are being produced and supplied by the domestic industry. In the absence of an identical or alike article in all respect, solar modules or panels produced using thin film technology are considered as like article to solar modules or panels producing using c-Si cells, having closely resembling characteristics with the imported article.

10. Accordingly, it is noted that there are no known material significant differences in the article produced by the domestic industry and the product under consideration exported from the subject country. The article produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject country are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The article manufactured by the domestic industry are technically and commercially substitutable with the product under consideration imported from the subject country. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the article produced by the domestic industry has been considered as "like article" to the product under consideration being imported from the subject country.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

11. The application has been filed by FS India Solar Ventures Private Limited, Jupiter International Limited, RenewSys India Private Limited, Tata Power Solar Systems Limited, and TP Solar Limited. Apart from the applicants, there are around 130 other domestic producers engaged in the manufacturing of the like article in India.

12. The applicants have claimed that there are only 6 known producers of solar cells in India, including 3 of the applicants. Out of these 6 cell producers, except Jupiter International Limited and Websol Energy System Limited, all other cell producers have imported cells from the subject country in significant volumes and are therefore ineligible. Websol Energy System Limited is located in an SEZ area and is therefore ineligible. FS India Solar Ventures Private Limited has produced solar modules using thin film technology. Other than the aforesaid cell producers and FS India Solar Ventures Private Limited, all other domestic producers manufacture solar modules, by buying solar cells from the Indian producers or by importing cells from China and other countries. The applicants have claimed that other than Jupiter International Limited and FS India Solar Ventures Private Limited, none of the other domestic producers are eligible to constitute domestic industry under Rule 2(b) since such producers are either importers of the product under consideration or are not undertaking

significant production process in conversion of solar cells to solar modules to be classified as domestic producers, or are in SEZ.

13. It is seen from the customs data that other than Jupiter International Limited and Websol Energy System Limited, all other cell producers in India have imported significant volumes of cells from the subject country during the period of investigation, which in some cases exceeds their production capacities. Thus, it is evident that the focus of these producers is not limited to manufacturing goods in India. Accordingly, based on the previous established practice of the Authority, these cell manufacturers that are importing significant volume of the product under consideration from the subject country are not eligible to be treated as domestic industry under Rule 2(b) of the Rules.

14. It is further seen that Websol Energy System Limited is an SEZ unit, established with the intention of exporting their manufactured products. Accordingly, based on the previous established practice of the Authority, Websol Energy System Limited is not eligible to constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules.

15. With respect to the producers of solar modules in India, FS India Solar Ventures Private Limited produces solar modules using thin film technology. The producer has not imported the product under consideration from the subject country during the period of investigation. While the producer is related to exporters of the like product from third countries, it is not related to an exporter or importer of the alleged dumped article from the subject country. The company is eligible domestic industry under the Rules.

16. The Authority notes that other than FS India Solar Ventures Private Limited, all other Indian producers of solar modules have produced modules by either using solar cells produced domestically or imported solar cells. It is determined that those domestic producers who are importing solar cells are not eligible to constitute domestic industry, being importers of solar cells. With respect to those producers that have produced solar modules after purchasing solar cells from the domestic market or imports, it is noted that such producers cannot be considered as domestic industry since both solar cells and solar modules are part of the scope of the product under consideration and the major manufacturing activities are undertaken at the stage of making solar cells, while only incremental production and low value addition is undertaken for making a solar module from solar cells. If the production of such producers is considered, it would lead to double counting of the Indian production, as the same production would be counted both at the stage of solar cells, and at the stage of solar modules. This has also been the consistent practice of the Authority in cases where a product and its further processed product have been considered as part of the product under consideration.

17. In view of the above, the Authority *prima facie* considers the production of FS India Solar Ventures Private Limited and Jupiter International Limited as a part of the total eligible domestic production. FS India Solar Ventures Private Limited and Jupiter International Limited thereby constitute a major proportion in the total Indian production of the subject goods, excluding those producers that are related to the exporters or importers of the alleged

dumped article or are themselves importers thereof. FS India Solar Ventures Private Limited and Jupiter International Limited have not imported the product under consideration into India, and are not related to an exporter or importer of the alleged dumped article. Accordingly, Jupiter International Limited and FS India Solar Ventures Private Limited constitute the 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. SUBJECT COUNTRY

18. The subject country for the present anti-dumping investigation is China PR.

E. PERIOD OF INVESTIGATION

19. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2024 (12 months). The injury investigation period will cover the period 1st April 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, and the period of investigation.

F. BASIS FOR ALLEGED DUMPING

Normal value

20. The applicants have submitted that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995. The applicants have claimed normal value on the basis of price of imports of the subject goods when imported from third country into India. In this regard, the applicants have considered the price of imports from Malaysia into India. The price of such imports has been adjusted to arrive at the ex-factory normal value. Further, the domestic industry has also claimed normal value based on the price payable in India, which is based on its cost of production, duly adjusted. The Authority has considered the normal value based on price payable in India, based on the domestic industry’s cost of production as appropriate after adjusting selling, general and administrative expenses with a reasonable profit margin.

Export price

21. The applicants have claimed the export price based on available information. However, the Authority has considered the export of the subject goods based on the CIF price of subject goods, as reported in the DG Systems transaction-wise data. Adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, inland freight and commission to arrive at the net export price.

Dumping margin

22. The normal value and the export price of the subject goods have been compared at the ex-factory level, which prima facie shows that dumping margin is above the de-minimis level and is significant in respect of product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

23. The applicants have provided prima facie evidence establishing that the subject imports have caused injury to the domestic industry. The volume of imports has increased significantly over the injury period, both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The price of the imports from the subject country has declined significantly. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry. Further, the subject imports are priced below the cost of the domestic industry and have depressed the prices of the domestic industry. Despite increased production capacities and demand in the market, the domestic industry is faced with significantly unutilized capacities and negligible share in the market. This has resulted in significant piling up of inventories. The domestic industry has claimed that the presence of imports has resulted in significant financial losses, cash losses and almost no return on investment. The domestic industry has also claimed that there are three market segments for the subject goods, namely imports for re-export, projects with Domestic Content Requirements (DCR) and the open market. Since the DCR market requires projects to compulsorily procure goods domestically, such market is insulated from the ill effects of dumped imports. However, in the open market where there is free competition, the domestic industry is unable to sell its goods and has practically no sales as it cannot compete with the dumped import.

24. Further, the domestic industry has also claimed that the imports have caused material retardation to FS India Solar Ventures Private Limited, which has been unable to achieve its projected sales and projected selling price, and has faced significant losses as against projected profitability. Furthermore, the domestic industry has also claimed that subject imports are threatening to cause further injury to the domestic industry, in view of the significant rate of increase in imports, significant idle capacities in the subject country, measures imposed by third countries, imports at prices that are likely to have further depressing effect on the prices of the domestic industry. Finally, the domestic industry has also highlighted that significant capacity additions are being made in the Country, which are under severe threat, if the dumped imports are not kept under a check.

25. The Authority notes that there is sufficient *prima facie* evidence that injury is being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject country.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

26. On the basis of the duly substantiated application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted, substantiating dumping of the product under consideration from the subject country, injury to the domestic industry and a causal link between such dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

27. The principles as given in Rule 6 of the Rules shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

28. All communication should be sent to the Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and dd19-dgtr@gov.in, with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in,. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

29. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

30. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

31. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

32. Interested parties are further advised to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in) for any updated information as well as further processes related to the investigation.

K. TIME LIMIT

33. Any information/submission relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and dd19-dgtr@gov.in, with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in within 30 days from the date of receipt of this notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the subject country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

34. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

35. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the Rules and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

36. Where any party makes any confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the same may lead to rejection of the response / submissions.

37. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

38. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

39. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

40. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

41. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the submission concerned.

42. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

43. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

44. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

45. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTRs website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions might lead to consideration of an interested part as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

46. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative, record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA